

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल0 _____ डब्ल० / एन०पी०—91 / 2014—16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 9 नवम्बर, 2020 कार्तिक 18, 1942 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001 7th November, 2020, Dated: -

16 Kartika, 1942 (Saka),

NOTIFICATION

No. 434/UP-LA/2014(1): -IN exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby appoints, in addition to the officers appointed by its Notification no. 434/UP-LA/2014(1), dated 19 February, 2014, as amended from time to time, 'DC, MNREGA, Unnao' as Assisting Returning Officer to assist the Returning Officer of 162-Bangarmau Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh in counting of votes during the ongoing bye-election from the above mentioned Assembly Constituency.

The appointment of the above officer as Assistant Returning Officer will cease to be effective on successful completion of counting of votes in 162-Bangarmau Assembly Constituency.

> By order, VARINDER KUMAR, Senior Principal Secretary, Election Commission of India.

By order, AJAY KUMAR SHUKLA, Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 तारीखः 7 नवम्बर, 2020 16 कार्तिक, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं0 434/यू0पी0—वि0स0/2014 (1) :— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, समय—समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434/यू0पी0—वि0स0/2014(1), दिनांक 19 फरवरी, 2014 के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, 'उपायुक्त, श्रम एवं रोजगार, उन्नाव,' को उत्तर प्रदेश राज्य के 162—बांगरमऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की, उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रचलित उप—निर्वाचन की मतगणना में सहायता हेतु, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है,

उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति, 162—बांगरमऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरान्त प्रभावी नहीं रहेगी।

> आदेश से, वरिंदर, कुमार, वरिष्ठ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

> आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ३५८ राजपत्र-२०२०-(८३५)-५८८+५०=६३८ प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।